

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीलमिन्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में विवाद

➤ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु द्वारा “नई शिक्षा नीति” (NEP, New Education Policy)-2020 को लागू करने से इनकार करने के कारण तमिलनाडु सरकार को दी गई “समग्र शिक्षा योजना” के लिए दिए गए धन को वापस ले लिया है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि जब तक तमिलनाडु 2020 की नई शिक्षा नीति को नहीं अपनाता है तब तक उसे “समग्र शिक्षा योजना” के तहत धन का आवंटन नहीं किया जाएगा।
- धर्मेन्द्र प्रधान के इस बयान के बाद तमिलनाडु में “नई शिक्षा नीति” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है।
- तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह अपने राज्य में “नई शिक्षा नीति” के हिस्से के रूप में “तीन भाषा का सूत्र” (Three Language Formulae) लागू नहीं करेगा तथा अपने राज्य में “दो भाषा नीति” (तमिल और अंग्रेजी) में कोई बदलाव नहीं करेगा।
- तमिलनाडु लंबे समय से अपने राज्य में “हिंदी” भाषा को लागू करने के प्रयास का विरोध कर रहा है।
- हालिया केंद्र सरकार और डीएमके शासित तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण “तीन भाषा का सूत्र” (Three Language Formulae) है जो NEP-2020 का एक हिस्सा है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएमके शासित तमिलनाडु सरकार द्वारा NEP-2020 को लागू करने से इनकार करना राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीलमिन्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

➤ **केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच हालिया विवाद का कारण क्या है ?**

- दरअसल पिछले महीने 15 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा था कि जिन राज्यों (तमिलनाडु) ने NEP-2020 को लागू नहीं किया है उन्हें “समग्र शिक्षा योजना” के तहत फंड का आवंटन नहीं किया जाएगा।
- इसके जवाब में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार अपने राज्य में सिर्फ फंड पाने के लिए “तीन भाषा फार्मूला” लागू नहीं करेगा।
- स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु “हिंदी” भाषा का विरोध नहीं कर रहा है बल्कि वह हिंदी भाषा थोपे जाने का विरोध कर रहा है।
- तमिलनाडु द्वारा तीन भाषा के फार्मूले का विरोध कोई नया नहीं है।
- 1960 के दशक के बाद से तमिलनाडु द्वारा “दो भाषा की नीति” को बरकरार रखा है।

➤ **तमिलनाडु में “दो भाषा नीति” कब आधिकारिक बनी ?**

- तमिलनाडु में “दो भाषा नीति” 23 जनवरी 1968 को अन्नादुरई की सरकार द्वारा मद्रास विधानसभा में प्रस्तावित की गई थी।
- इस प्रस्ताव में “तीन भाषा सूत्र” को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
- तब से लेकर अब तक तमिलनाडु अपने राज्य में “दो भाषा नीति” का पालन कर रहा है।
- तमिलनाडु में हिंदी केवल सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई जाती है जबकि अन्य सरकारी शिक्षण संस्थानों में दो भाषा नीति के तहत तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।

➤ **शिक्षा में भाषा बहस :**

- शिक्षा में भाषा नीति पर बहस, भाषाओं के निर्देश और शिक्षण दोनों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद से ही मौजूद है।
- भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में वर्ष 1948-49 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस विषय की विस्तार से जांच की।
- राधाकृष्णन आयोग ने भारत की संघीय भाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया जिसका उपयोग सभी संघीय गतिविधियों जैसे प्रशासनिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में किया जाना तय हुआ जबकि क्षेत्रीय भाषाएं विभिन्न प्रांतों के लिए थीं।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीलमिन्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

- इस आयोग ने माना कि अंग्रेजी भाषा को तुरंत छोड़ देना अव्यवहारिक होगा।
- आयोग ने कहा कि अंग्रेजी भाषा को ऐसे समय तक संघीय व्यवसाय के लिए माध्यम के रूप में जारी रखना होगा जब तक सभी प्रांत इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाए।

➤ **2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) :**

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है।
- इस नीति की पहली बार आवश्यकता वर्ष 1964 में महसूस की गई थी जब तत्कालीन कांग्रेस के सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने तत्कालीन सरकार की शिक्षा के लिए एक दृष्टि और दर्शन की कमी के लिए आलोचना की थी।
- उसी वर्ष 1964 में ही तत्कालीन यूजीसी चेयरपर्सन डी एस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय और समन्वित नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था।
- इसी शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति पारित की गई थी।
- दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में लाई गई जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, देश की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है।
- हालांकि “राष्ट्रीय शिक्षा नीति” (NEP) केवल राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए एक व्यापक दिशा प्रदान करता है जिसे पालन करना अनिवार्य नहीं है।
- चूंकि “शिक्षा” समवर्ती विषय सूची में शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बना सकती हैं इसलिए “राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020” को पूरी तरह से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2040 का लक्ष्य निर्धारित किया है।

➤ **तीन भाषा सूत्र :**

- सर्वप्रथम राधाकृष्णन आयोग ने ही स्कूल की शिक्षा के लिए “तीन भाषा सूत्र” को प्रस्तावित किया था।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीलमिन्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

- इस प्रस्ताव को 1964-66 में डी एस कोठारी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था।
- इस प्रस्ताव को 1986 में पारित दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल किया गया था।
- “तीन भाषा सूत्र” को प्रस्तावित करते हुए राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि संघीय गतिविधियों में अपनी उचित हिस्सेदारी लेने पर अंतर-प्रांतीय समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए द्विभाषी होने का मन बनाना होगा और उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को “तीन भाषा सूत्र” अपनाना होगा।
- “तीन भाषा सूत्र” के तहत हिंदी बोलने वाले राज्यों में छात्रों को एक आधुनिक भारतीय भाषा सीखनी चाहिए जबकि गैर-हिंदी बोलने वाले राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी और हिंदी शामिल किया गया है।
- हालांकि पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के विपरीत वर्ष 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति “हिंदी” का कोई उल्लेख नहीं करता है।

➤ समग्र शिक्षा अभियान :

- वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए केंद्रीय रूप में प्रायोजित एक एकीकृत योजना है।
- इस अभियान के तहत साक्षर भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना को समाप्त कर इसमें एकीकृत कर दिया गया।
- समग्र शिक्षा अभियान के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2021 में “निपुण भारत मिशन” को लांच किया गया था।

➤ भारत में हिंदी भाषा की व्यापकता :

- 2011 की भाषाई जनगणना में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाएं तथा 121 मातृभाषा शामिल है।
- 2011 की भाषाई जनगणना के अनुसार “हिंदी” सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीलमिन्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

- इस भाषाई जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी की 43.6 प्रतिशत आबादी (52.8 करोड़ लोग) ने अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी को चुना।
- हिंदी के बाद भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा बंगाली है जो देश के लगभग 9.7 करोड़ लोगों (8 प्रतिशत) द्वारा बोली जाती है।
- इस भाषाई जनगणना में हिंदी भाषा जानने वाले लोगों के संदर्भ में लगभग 13.2 करोड़ लोगों (11 प्रतिशत) ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में चुना।
- इस प्रकार भारत में हिंदी जानने वाले लोगों की कुल आबादी लगभग 55% है।

➤ मुंशी अयंगर फार्मूला और हिंदी दिवस :

- प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को “हिंदी दिवस” के रूप में मनाया जाता है।
- भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना।
- भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू के साथ हिंदी और संस्कृत को भी प्रस्तावित किया गया था।
- मुंशी-अयंगर फार्मूला का नाम इस समिति के सदस्य के एम मुंशी और एन गोपालास्वामी अयंगर के नाम पर रखा गया था।
- मुंशी-अयंगर फार्मूले के हिस्से के रूप में वर्ष 1950 में अपनाए गए संविधान के अनुच्छेद-343 में निम्न बातें कही गईं-
 1. संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।
 2. संविधान के शुरू होने से 15 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- जब 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तो गैर-हिंदी बोलने वाले भारत के बड़े हिस्सों में विशेष रूप से तमिलनाडु में हिंदी को थोपने के डर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
- इस विरोध के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा “आधिकारिक भाषा अधिनियम” पारित किया गया।
- इस अधिनियम में कहा गया कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में बरकरार रखा जाएगा।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीलमिन्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.

- 1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.**
- 2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹**
- 3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹**
- 4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹**
- 5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹**

कोर्स या Test Series के लिए

WhatsApp कीजिये

9235313184, 9235446806

